

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणकी

पत्रांक : मान्यता/ 1701-10 /2017-18 दिनांक-20/05/2017

प्रबन्धक,
सूर्या पब्लिक स्कूल,
मकनपुर, त्रिवेदीगंज-वाराणकी।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 उपनियम 4 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण एवं शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18एस (20)/91 दिनांक 08.05.2013 तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के अनुमोदन दिनांक 18.05.2017 के प्रतिनिर्देश से मैं आपके विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) हेतु दिनांक 01.06.2017 से दिनांक 31.05.2020 तक 03 वर्षों की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्बंधित करता हूँ-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (संलग्नक-1) और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संलग्नक-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय नर्सरी से कक्षा 08 में (या यथार्थिति कक्षाओं में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्धियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियां को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. समिति/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा-

(क) बालक का आयु प्रमाण-पत्र न होने पर।

Garu

सुनील
प्राचार्य / Principal

केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
सीतापुर 22300-231001 / Sitapur U.P. 261001

PRINCIPAL
SURYA PUBLIC SCHOOL
Makanpur, Bhilwal
Barabanki

Suman
Manager
Surya Public School
Bhilwal Barabanki

(ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा—

1. प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा?
3. किसी भी बालक से प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
4. प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
5. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता।
6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे तथा टीईटी प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था पूर्ण कर लेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम सं० 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्ति के समूह या सगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

PRINCIPAL
SURYA PUBLIC SCHOOL
Makanpur, Bhilwal
Barabanki

प्राचार्य / Principal
कन्दिया विद्यालय / Kandsiya Vidyalaya
मकानपुर 2600-81001 / Sitapur U.P. 261001

Manager
Surya Public School
Bhilwal Barabanki

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या Eng. M.-02/18-05-2017 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. विद्यालय प्रबंध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
19. संलग्न उपबंध 3 के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

(पी0एन0 सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।

/2017-18 दिनांक तदैव।

पृ0सं0 / मान्यता /

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ-

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
4. प्राचार्य डायट, बाराबंकी।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
7. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
9. सम्बन्धिक खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
10. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
11. कार्यालय पत्रावली।

Garhi

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।

Shanta

राज्य शिक्षा विभाग
अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0
इलाहाबाद।

P.S.
PRINCIPAL
SURYA PUBLIC SCHOOL
Makanpur, Bhilwal
Barabanki

Surendra Kumar
Manager
Surya Public School
Bhilwal Barabanki